FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बाप ... मुकाम ...

पदमा राम ... बनाम ... नगा राम व अन्य

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन ... नं. 131 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/4/2019	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोर्डेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 15/5/2019 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बाप	
15/05/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अवकाश में है। अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 11/06/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
11/06/19	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील मय तामील शुदा / श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 03/09/19 को पेश हो / (हस्ताक्षर)	
03/09/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 17/12/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:33:09 IST
Reason: SelfAttested

17/12/19

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार कार्यवाही लगाई गई अंतिम आवाज 5-45 pm पर लगाई गई कोई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 05/02/2020 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

05/02/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों की खातेदारी भूमि लेहा मेड़ आई हुई है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों पर जो पुरानी मेड़ें व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं तथा वर्षात होने पर विपक्षीगण प्रार्थी के खातेदारी खेत में काश्त कर लेते हैं। जिस कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद व तनाजा बना रहता है। इसलिए प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की सीमाओं का सही ज्ञान करने हेतु पैमाइश करवाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाइशी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की पैमाइश मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा करवाकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली अमल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:33:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क / वाद / 2020 / 67 दिनांकः– 11/02/2020

जस्व आवेदन संख्या – 131 / 19

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
श्री पदमाराम पुत्र पेमाराम जाति–जाट, निवासी–रोजिया नाडी तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		श्री नगाराम पुत्र पेमाराम वगैरा 13 निवासीयान्– रोजिया नाडी, माधासर तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा रोजियानाडी पटवार हल्का माधासर के खेत खसरा नम्बर 773 / 282, 873 / 282, 874 / 282, 875 / 285, 881 / 221 रकबा क्रमशः 00.06, 10.00, 21.00, 19.00, 28.07 बीघा कुल रकबा 78.13 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः–

क्रमांक / वाद / 2019 / 60 to 72

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, माधासर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री पदमाराम पुत्र पेमाराम।
4. विप्रार्थीगण श्री नगाराम पुत्र पेमाराम वगैरा 13।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:33:09 IST
Reason: SelfAttested